

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी,  
जैतारण (जिला-ब्यावर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०  
राजस्व वाद संख्या : 158/2022  
GCMS NO. : 2022/280

-: वादीया :-

बनाम

-: प्रतिवादी :-

1. परमाई उर्फ परमीदेवी पत्नी  
लालाराम जाति सीरवी निवासी बेरा,  
समदड़ा ग्राम खेड़ा देवगढ़ तहसील-  
जैतारण जिला ब्यावर राज०।

1. तहसीलदार जैतारण जिला- ब्यावर  
राज.

राजस्व वाद बाबत घोषणा एवं रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी  
अधिनियम, 1955 एवं 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजू.: 23/08/2024

उपस्थित:- 1. श्री किशोर कुमार कुमावत, अधिवक्ता वादी।  
2. सरकारी राज पैरोकार, तहसीलदार जैतारण।

-: निर्णय :-

दिनांक:- 29/08/2024

वकील मय वादीया ने एक राजस्व वाद बाबत घोषणा एवं रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, एवं 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया है कि सरहद मौजा जैतारण, पटवार हल्का जैतारण में खसरा नम्बर 952/4 रकबा 05-05 बीघा किस्म बारानी दोयम की आई हुई थी। जो नकल जमाबन्दी: सम्वत् 2069-2072 से प्रमाणित है। नकल जमाबन्दी वादपत्र के साथ पेश है। उक्त भूमि मे से 04 बिस्वा भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 112 हेतु सन् 2014 में अवाप्त कर ली गई थी जो सभी खातेदारान् की बराबर बराबर हिस्से की भूमि से अवाप्त की गई थी। उक्त भूमि में से 04 बिस्वा भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 112 मे अवाप्त होने के बाद सहवन से उसका म्युटेशन पारित नही किया गया। इस कारण से उक्त भूमि के तत्कालीन खातेदार द्वारा प्रसाद, राधाकिशन, श्रीकिशन, दामोदर लाल पिसरान् भीकूलाल ब्राहमण निवासी जैतारण ने आपस मे अवाप्त की गई भूमि को सम्मिलित करते हुए उक्त खसरा नम्बर 952/4 के सम्पूर्ण रकबा 05-05 बीघा का विभाजन करते हुए जरिये नामान्तरण संख्या 4072 दिनांक 30/09/2016 के द्वारा प्रसाद के हक हिस्से में खसरा नम्बर 952/6 रकबा 1-06 बीघा एवं राधाकिशन के हक हिस्से मे खसरा नम्बर 952/7 रकबा 1-06 बीघा तथा श्रीकिशन के हक हिस्से मे खसरा नम्बर 952/8 रकबा 1-07 बीघा भूमि व दामोदरलाल के हक हिस्से में खसरा नम्बर 952/4 रकबा 1-06 बीघा भूमि रखी गई एवं इसी अनुसार तत्कालीन खातेदारान के नाम जमाबन्दी में दर्ज किये जाकर खातेदारान् की चौसाला जमाबन्दीयां अलग अलग की गई तथा अवाप्त की गई भूमि को मुआवजा राशि भी सन् 2017 मे तत्कालीन खातेदारान् ने प्राप्त कर लिया। उक्त म्युटेशन एवं विभाजन की जमाबन्दीयां वादपत्र के साथ पेश है। राष्ट्रीय राजमार्ग मे भूमि अवाप्त होने के पश्चात राजस्व रेकर्ड मे म्युटेशन पारित नही होने की वजह से खसरा नम्बर 952/7 रकबा 1-06 बीघा के तत्कालीन खातेदार श्रीकिशन पुत्र भीकूलाल ब्राहमण ने वादीया के पक्ष मे 1-05 बीघा भूमि का रजिस्टर्ड बर्तमान नामा दिनांक 27/09/2017 को निष्पादित कर उपपंजीयन कार्यालय जैतारण से पंजीबद्ध करवाया गया। उस समय भी तत्कालीन खातेदार राधाकिशन ने एक तस्दीक सुदा

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)  
उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर, जैतारण (ब्यावर)

पथपत्र वादीया को दिया कि 01 बिस्वा भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग में अवाप्त हो चुकी है तथा शेष सम्पूर्ण 01-05 बीघा का बेचान वादीया को कर दिया है। अब उक्त खसरा नम्बर में मेरा कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं है। जिसके आधार पर 1-05 बीघा भूमि का म्युटेशन सख्या 4131 दिनांक 15/10/2017 को वादीया के नाम पारित किया गया तथा उसके बाद अवाप्त की गई 01 बिस्वा भूमि का म्युटेशन सख्या 4204 दिनांक 09/01/2018 को पारित किया गया उस समय तत्कालीन रेवेन्यु एजेन्सी द्वारा पारित कर तत्कालीन खातेदार राधाकिशन का नाम सहवन एव लिपिकीय सुविधा बदस्तुर रख दिया गया इसलिए आगामी जमाबन्दी बनाते समय रेवेन्यु एजेन्सी के खसरा नम्बर 952/7 में 01-05 बीघा भूमि में वादीया का 25/26वां हिस्सा एवं तत्कालीन खातेदार राधाकिशन का 1/26 वां हिस्सा दर्ज कर दिया गया जबकि तत्कालीन खातेदार राधाकिशन का वादीया को दिये गये शपथपत्र के अनुसार किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा व अधिकार उक्त खसरा नम्बर की भूमि में नहीं रहा उसके बावजूद भी उक्त खसरा नम्बर के 1-05 बीघा भूमि में तत्कालीन खातेदार का नाम सहवन से इन्द्राज कर दिया गया जो एक रोंगाएन्ट्री है। जिसे दुरुस्त किया जाकर तत्कालीन खातेदार राधाकिशन का नाम राजस्व रेकॉर्ड से हटाया जाकर सम्पूर्ण रकबा 1-05 बीघा भूमि वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायतन आवश्यक होने से यह वादपत्र बाबत् घोषणा व रेकॉर्ड दुरुस्ती हेतु वादीया की ओर से प्रतिवादी के विरुद्ध श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। वादीया को अपनी उक्त खरीद सुदा भूमि पर ध्यान लेने की आवश्यकता होने से दिनांक 10/08/2022 को पटवारी हल्का से सम्पूर्ण राजस्व रेकॉर्ड की नकलें प्राप्त करने पर वादीया को अपने हक हिस्से की खरीद सुदा भूमि में तत्कालीन खातेदार राधाकिशन का नाम इन्द्राज होने की सर्वप्रथम जानकारी होने पर वादीया ने प्रतिवादी को उक्त खसरा नम्बर की भूमि में से राधाकिशन का नाम हटाया जाकर राजस्व रेकॉर्ड दुरुस्त कर सम्पूर्ण 1-05 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करने हेतु आवेदन पत्र पेश किया परन्तु प्रतिवादी ने राधाकिशन का नाम हटाया जाकर राजस्व रेकॉर्ड दुरुस्त कर वादीया को सम्पूर्ण भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करने से इन्कार कर दिया एवं सक्षम न्यायालय से आदेश लाने पर ही सम्पूर्ण भूमि में वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित करने का कथन किया। इसलिए वादीया के पास न्यायालय की शरण के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वादपत्र बाबत् घोषणा व रेकॉर्ड दुरुस्ती का श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। वादीया की खरीद सुदा भूमि में तत्कालीन खातेदार राधाकिशन का नाम इन्द्राज रहता है तो वादीया को अपने जायज हक हकूकों एवं अधिकारों से महरूम हो जायेगी एवं वादीया को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी कदर संभव नहीं होगी एवं पेचीदगियां बढेगी। जबकि सम्पूर्ण 01-05 बीघा भूमि पर खरीद से लेकर आज दिन तक वादीया ही मौके पर काबिज होकर शांतिपूर्ण तरीके से उपयोग उपभोग करती चली आ रही है। इसलिए राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज राधाकिशन का नाम हटाया जाकर राजस्व रेकॉर्ड दुरुस्त कर सम्पूर्ण 1-05 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार वादीया को घोषित किये जान बाबत् यह वादपत्र बाबत् घोषणा व रेकॉर्ड दुरुस्ती का श्रीमान् के समक्ष पेश है। प्रतिवादी तहसीलदार जैतारण राज्य सशकार के प्रतिनिधि है जिनके विरुद्ध वादपत्र पेश करने से पूर्व दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु वादपत्र अति आवश्यक प्रकृति का होने से तथा नोटिस देने में समय लगेगा तब तक वादीया का वादपत्र करने का मकसद ही विफल हो जायेगा। इसलिए बिना नोटिस दिये ही वादपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत् धारा

(श्याम सुन्दर विष्णु)  
उपसह-अधिकारी एवं पब्लिक  
सहायक क्लर्क, जैतारण (श्याम)

80(2) सीपीसी का प्रार्थनापत्र वादपत्र के साथ पेश है तथा खसरा नम्बर 952/7 के तत्कालीन खातेदार काश्तकार राधाकिशन का उक्त खसरा नम्बर की भूमि में किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा व अधिकार वादीया को दिये गये शपथपत्र अनुसार शेष नहीं रहने से उसे प्रतिवादी पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है। बिनाय वाद दिनांक 10/08/2022 को वादीया द्वारा सम्पूर्ण राजस्व रेकर्ड की नकलें पटवारी हल्का से प्राप्त करने पर उक्त भूमि तत्कालीन खातेदार राधाकिशन कानाम इन्द्राज होने की सर्वप्रथम जानकारी होने पर वादीया द्वारा प्रतिवादी को राजस्व रेकर्ड में से राधाकिशन का नाम हटाया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरुस्त कर सम्पूर्ण 01-05 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार वादीया को घोषित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर प्रतिवादी द्वारा राधाकिशन का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाने से स्पष्ट इन्कार करने एवं सक्षम न्यायालय के आदेश से ही राधाकिशन का नाम हटाये जान का कथन करने से बमुकाम जैतारण तहसील जैतारण में पैदा हुआ जो श्रीमान के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में होने से यह वादपत्र अन्दर म्याद श्रीमान् के समक्ष नादर पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस हास्ते जबाब दावा तलब किया गया। प्रतिवादी/तहसीलदार जैतारण ने हस्तगत प्रकारण में जवाब दावा प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया है कि जमाबन्दी सम्वत् 2069-2072 ग्राम जैतारण के खसरा नम्बर 952/4 रकबा 05-05 बीघा भूमि थी। यह सही है कि एन.एच. 112 हेतु खसरा नम्बर 952/4 में से 0.0285 हैक्टेयर भूमि सड़क निर्माण हेतु अवाप्त हुई थी। उक्त भूमि अवाप्ति का नामान्तरण दर्ज होने से पूर्व खसरा नम्बर 952/4 का विभाजन नामान्तरण संख्या 4072 दिनांक 30.09.2016 से खाता का विभाजन होकर 4 नये खसरा नम्बर बन गये। विभाजन उपरान्त खसरा नम्बर 952/7 रकबा 01-06 बीघा भूमि में से 25/26 हिस्सा वादीगण ने रजिस्टर्ड पंजीकृत करवा लिया जिसका नामान्तरण 4181 दिनांक 15.10.2017 से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हो गया। अन्य तथ्य स्वीकार नहीं है। इसके उपरांत नामान्तरण संख्या 4204 दिनांक 09.01.2018 से खसरा नम्बर 952/7 में से 0-01 बिस्वा(0.007) भूमि NHAI 112 के नाम दर्ज हो गई। अतिरिक्त कथन वर्तमान राजस्व रेकर्ड के अनुसार खसरा नम्बर 952/7 में से 0.007 हैक्टेयर भूमि 952/15 खसरा नम्बर बनकर NH 112 के नाम दर्ज हो गया एवं 952/7 में 25/26 हिस्सा वादीगण एवं 1/26 हि. पूर्व खातेदार के नाम दर्ज है।

पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा संगत विधिक प्रावधानों एवं बहस में प्रकट तथ्यों एवं कथनों पर मनन किया तथा विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन अवलोकन किया तथा प्रकरण के सम्यक निस्तारण हेतु समुचित मार्गदर्शन प्राप्त किया। पत्रावली का विवाद्यकवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है :-

1. आया कि मौजा जैतारण के खसरा संख्या 952/7 रकबा 01-05 बीघा के रजिस्टर्ड बैचान के समय तत्कालीन खातेदार राधाकिशन द्वारा वादीया को दिए गए शपथ व 0-01 बीघा भूमि अवाप्त होने से राधाकिशन का किसी प्रकार का हिस्सा शेष नहीं रहने से उसका नाम हटाया जाकर सम्पूर्ण हिस्से का खातेदार काश्तकार वादीया को घोषित किया जावे एवं रेकर्ड दुरुस्त किया जावें ?

जिम्मे वादीया

(नाम सुरेश कुमार)  
उपखण्ड-आधिकारी एवं जे  
सहायक अधिकारी, जैतारण (खसरा)

यह विवाद्यक साबित करने की जिम्मेदारी वादीया की हैं। वादीया द्वारा वादपत्र में यह निवेदन किया गया है कि वादपत्र में वर्णित खसरा नम्बर 952/7 रकबा 01-05 बीघा के रजिस्टर्ड बैचान के समय तत्कालीन खातेदार राधाकिशन द्वारा वादीया को दिये गये शपथपत्र के अनुसार उक्त भूमि में राधाकिशन का किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं होने से राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज राधाकिशन पुत्र भीकूलाल जाति ब्राह्मण निवासी जैतारण का नाम हटाया जाकर राजस्व रेकॉर्ड दुरुस्त कर वादीया को सम्पूर्ण भूमि का खातेदार घोषित किया जाए।

वादीया की ओर से वादपत्र में बतौर साक्ष्यवादी मुख्य परीक्षण में साक्ष्य शपथ पत्र PW-1 प्रस्तुत किया। वादी द्वारा प्रस्तुत अपने साक्ष्य शपथ पत्र में वादपत्र में उल्लेखित तथ्यो एवं कथनो का समर्थन किया।

वादीया द्वारा उक्त विवाद्यक के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श-1 ग्राम जैतारण के खसरा नम्बर 952/7 रकबा 0.2023 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम जमाबन्दी सम्वत् 2077-2080 जिसमें वादीया परमाई उर्फ परमीदेवी पत्नी लाला हिस्सा 25/26 तथा राधाकिशन पुत्र भीकूलाल हिस्सा 1/26 का अंकन है। प्रदर्श-2 जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076, प्रदर्श-3 सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, जैतारण द्वारा 3डी की अधिसूचना में प्रकाशित विवरण एवं मुआवजा निर्धारण हेतु 3(जी) के विवरण की प्रति, प्रदर्श-4 एन.एच. 112 (भूमि अवाप्ति) खसरा नम्बर 952/4 का अवार्ड प्रति, प्रदर्श-5 एन.एच. 112 (भूमि अवाप्ति) खसरा नम्बर 952/4 भुगतान प्रति, प्रदर्श-6ए खसरा नम्बर 952/4 का खातेदार राधाकिशन द्वारा परमाई उर्फ परमीदेवी पत्नी लालाराम के पक्ष में किया गया रजिस्टर्ड विक्रय विलेख, प्रदर्श-7ए मौजा जैतारण के खसरा संख्या 952/7 रकबा 01-05 बीघा के रजिस्टर्ड बैचान के समय तत्कालीन खातेदार राधाकिशन द्वारा वादीया को दिए गए शपथ जिसमें तत्कालीन खातेदार राधाकिशन द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि "सरहद मौजा जैतारण पटवार हल्का जैतारण तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 952/7 रकबा 01-06 बीघा आई हुई है जिसमें से 1-05 बीघा भूमि परमाई उर्फ परमीदेवी पत्नी लालाराम कौम सीरवी निवासी खेड़ादेवगढ़ को बैचान कर दी गई है तथा शेष मुझ शपथ कर्ता के नाम की 1 बिस्वा भूमि है वो नेशनल हाईवे नम्बर 112 के अन्दर में आवाप्त हो गई है। जिसका मुआवजा राशि मुझ शपथकर्ता ने प्राप्त कर ली है"

इस प्रकार वादीया द्वारा प्रस्तुत लिखित एवं मौखिक साक्ष्य तथा वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित भू अभिलेख एवं अन्य दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 952/7 के भू अभिलेख में बतौर खातेदार दर्ज राधाकिशन पुत्र भीकूराम हिस्सा 1/26 एक त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि है तथा वादीया खसरा नम्बर 952/7 रकबा 1-05 बीघा(0.2023 हैक्टेयर) के सम्पूर्ण हिस्से की पूर्ण खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत बिन्दुवार जवाब दावा में यह स्वीकार किया गया है कि ग्राम जैतारण के खसरा नम्बर 952/4 का कुल रकबा 05-05 बीघा भूमि थी। लेकिन एन.एच. 112 हेतु खसरा नम्बर 952/4 में से 0.0285 हैक्टेयर भूमि सड़क निर्माण हेतु सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, जैतारण द्वारा अवाप्त की गई थी लेकिन उक्त भूमि अवाप्ति का नामान्तरण दर्ज होने से पूर्व खसरा नम्बर 952/4 का विभाजन नामान्तरण संख्या 4072 दिनांक 30.09.2016 से खाता का विभाजन होकर 4 नये खसरा नम्बर बन गये। विभाजन उपरान्त खसरा नम्बर 952/7 रकबा 01-06 बीघा भूमि में से 25/26 हिस्सा

(श्याम सुन्दर सिन्घे)  
उपखण्ड-अधिकारी एवं पैन  
सहायक कलक्टर, जैतारण (बि.ए.ए.)

वादीगण ने रजिस्टर्ड पंजीकृत करवा लिया जिसका नामान्तरण 4181 दिनांक 15.10.2017 से राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज हो गया। इसके उपरांत नामान्तरण संख्या 4204 दिनांक 09.01.2018 से खसरा नम्बर 952/7 में से 0-01 बिस्वा(0.007) भूमि NHAI 112 के नाम दर्ज हो गई। तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा एवं तत्कालीन खातेदार राधाकिशन पुत्र भीकूराम द्वारा निष्पादित शपथ पत्र से यह स्पष्ट होता है कि खसरा नम्बर 952/7 के कुल रकबा 01-06 में से 01-05 बीघा हिस्सा वादीया के नाम पंजीकृत बैचान करने के पश्चात् शेष हिस्सा जरिये नामान्तरण संख्या 4204 दिनांक 09.01.2018 से खसरा नम्बर 952/7 में से 0-01 बीघा(0.007 हेक्टेयर) भूमि NHAI 112 के नाम दर्ज की गई। अतः सरहद मौजा जैतारण की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 952/7 रकबा 01-05 बीघा वादीया की खरीदसुदा एवं कब्जे काशत की कृषि आराजी है, जिसकी वादीया एक मात्र खातेदार काशतकार है।

यह विवादक वादीया विरुद्ध प्रतिवादीगण साबित करने में पूर्णतया सफल रही है तथा प्रत्येक खातेदार का यह प्राथमिक अधिकार होता है कि उससे सम्बन्धित भू-अभिलेख की समस्त प्रविष्टियां त्रुटि रहित एवं शुद्ध हो। अतः हमारे विनम्र अभिमत में वादीया को वादग्रस्त आराजी ग्राम जैतारण पटवार हल्का जैतारण के खसरा नम्बर 952/7 रकबा 01-05 बीघा किस्म बारानी दोयम का एकमात्र काबिज खातेदार काशतकार घोषित किया जाना तथा भू अभिलेख में दर्ज त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि "राधाकिशन पुत्र भीकूलाल हिस्सा 1/26 जाति ब्राह्मण" को विलोपित किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

**--: आदेश :-**

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद-वादीगण अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा जैतारण की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 952/7 रकबा 1-05 बीघा वादीया की खरीदसुदा कब्जे काशत आराजी है, जिसके सम्पूर्ण रकबे की वादीया एकमात्र खातेदार एवं काशतकार है, इसलिए वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख में दर्ज अशुद्ध एवं त्रुटिपूर्ण नाम व हिस्से की प्रविष्टि "राधाकिशन पुत्र भीकूलाल हिस्सा 1/26 जाति ब्राह्मण" को विलोपित करते हुए इसके स्थान पर वादीया परमाई उर्फ परमीदेवी पत्नी लालाराम को वादग्रस्त आराजी के सम्पूर्ण रकबे का एकमात्र खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि भू-अभिलेख में इसी मुताबिक इन्द्राज करते हुये भू-अभिलेख को अद्यतन परिशुद्ध करें। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन  
उपसूपड अधिकारी जैतारण  
(जिला-ब्यावर)

निर्णय आज दिनांक 29/08/2024 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन  
उपसूपड अधिकारी जैतारण  
(जिला-ब्यावर)

**डिक्री बमुकदमें इब्तदाई**  
(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण

बईजलास :- श्यामसुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०

-: वादीया :-

बनाम

-: प्रतिवादी :-

1. परमाई उर्फ परमीदेवी पत्नी  
लालाराम जाति सीरवी निवासी बेरा,  
समदड़ा ग्राम खेड़ा देवगढ़ तहसील-  
जैतारण जिला पाली राज०।

1. तहसीलदार जैतारण जिला-  
ब्यावर राज.

राजस्व वाद बाबत घोषणा एवं रेकर्ड दुरुस्ती मु०न० रा०वा०स०: 158/2024

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु .....-..... व हाजरी श्री किशोर कुमार कुमावत, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व सरकार राज रोकार तहसीलदार जैतारण, मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद-वादीगण अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा जैतारण की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 952/7 रकबा 1-05 बीघा वादीया की खरीदसुदा कब्जे काश्त आराजी है, जिसके सम्पूर्ण रकबे की वादीया एकमात्र खातेदार एवं काश्तकार है, इसलिए वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख में दर्ज अशुद्ध एवं त्रुटिपूर्ण नाम व हिस्से की प्रविष्टि "राधाकिशन पुत्र भीकूलाल हिस्सा 1/26 जाति ब्राह्मण" को विलोपित करते हुए इसके स्थान पर वादीया परमाई उर्फ परमीदेवी पत्नि लालाराम को वादग्रस्त आराजी के सम्पूर्ण रकबे का एकमात्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि भू-अभिलेख में इसी मुताबिक सुदराज करते हुये भू-अभिलेख को अद्यतन परिशुद्ध करें। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-...  
...फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।

बसिब्ल मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 29/08/2024 को जारी किया गया।



सहायक मुकदमदार एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी जैतारण  
(जिला-ब्यावर)

मुद्दाई	रुपये	पैसे	मुद्दायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	03-	00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	01-	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर	02-	00	बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान:-	06-	00	मिजान:-	-Nil-	

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावे ।

